

02/04/25

अधिवक्ता अपीलोट उपर) अंतरण में रैखी, संख्या
01 के ग्राम मुकाम की कार्यवाही केस करने बाबत
अधिवक्ता अपीलोट को पूर्व में उरि बार आदेशित
रिये जाने के काबजूर आज दिनांक पेसी तक
रैखी, संख्या 01 के ग्राम मुकाम की कार्यवाही
पेश नहीं की गई है। अधिवक्ता अपीलोट का
उपरोक्त कृत्य न्यायालय के आदेशों की अवहेलना
की गयी है परिलक्षित होता है। लिहाजत
सत्रावली अदम लखीर में धारिण की जाती
है। सत्रावली केस ल सुमार होकर बाद आवरण
कार्यवाही दाखिल इफ्तार है